

Kind Attn- Sh. G. S. Pandey - C.A.O.
from - V. SAKSENA, NEW DELHI
रजिस्ट्री सं. डी० एल०-33004/99

REGD.NO.D.L-33004/99



URGENT

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]
No. 657]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2007/ज्येष्ठ 11, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2007/JYAISTHA 11, 1929

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2007

का.आ. 860(अ).—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) को धारा 5ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस मत के होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 5क के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से इस अधिनियम के प्रयोजन से भारत में विनियमित सभी वस्त्रों एवं सभी मशीनों को पूर्ण उपकर लगाए जाने से एतद्वारा कृष्ट प्रशान करती है।

[सं. 12020/2/2002-ए एंड एमएमटी]

जैमिनी कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2007

S.O. 860(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5E of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government, being of the opinion that in the public interest it is necessary so to do, hereby exempts all textiles and all textile machinery manufactured in India from the levy of whole of the cess, for the purposes of the above-mentioned Act, as a duty of exercise leviable under Section 5A of the said Act, with effect from the date of publication of this notification.

[No. 12020/2/2002-A & MMT]

J. K. SHARMA, Jt. Secy.

भारत का वाजपत्र

The Gazette of India



विधायक
EXTRADITION

पार्ट II—खण्ड 3—प्रा० वाजपत्र (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रतिक्रिया से प्रतिरोध
PUBLISHED BY AUTHORITY

मा. 51।
No. 51।

पर्याप्ति, मुद्रित, वन्देश्वर, वन्देश्वर 18, 2007/2008-28, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2007/PAUSA 28, 1928

वस्त्र अधिकारी

अधिकृत

वह विलोम, 17 जनवरी, 2007

का.आ. 52(अ)।—वस्त्र अधिकारी अधिनियम, 1963 (1963
वा. 41) की अंतर्गत इस प्रदल विधिवाली का उपयोग करते हुए,
मंत्रीप्रधारकार, हुए नहीं कर होने पर कि जनरहित में रेखा करना
शावशक है, इस अधिकृतवाली के प्रकाशन की विधि से उसका अधिकारीकरण
को धारा 5क के तहत लोपाएँ करने वाली उत्ताप एक से इस अधिनियम
के प्रयोगवाले से खिलाएँ विलाप विवाहाना, और ऐसा प्रकार का वस्त्र है, को
पूरा उपकर लगाए जाने से एकदलास सून प्रदल लायी है।

[सं. 12020/2/2002-हर्डेसेम्ही (टीसी)]

भूषेन्द्र चिह्न, अधिकृत सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2007

S.C. 52(अ).—In exercise of the powers conferred by
Section 39 of the Textiles Commission Act, 1963 (41 of 1963),
the Central Government, being of the opinion that in the
public interest it is necessary so to do, hereby exempts the
ready made garments, being a variety of textiles from the
levy of whole of the cess, for the purposes of this Act, a
duty of excise leviable under Section 5A of the said Act,
with effect from the date of publication of this notification.

[No. 12020/2/2002-A & MMT (TC)]

BHUPENDRA SINGH, Jr. Secy.